भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1694

उत्तर देने की तारीख : 01.08.2024

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति

1694. श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का क्या महत्व है;

(ख) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय साजर्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएससी) द्वारा एमएसई से की गई खरीद को यह किस प्रकार प्रभावित करता है; और

(ग) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई द्वारा एमएसई से की गई कुल खरीद का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ख): एमएसएमई को बाजार तक पहुंच और लिंकेज में सुधार करने तथा एक सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराकर उनकी वृद्धि और विकास के संवर्धन के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2012 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया। इस नीति को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत अधिसूचित किया गया है। 1 अप्रैल, 2015 से इस नीति को अनिवार्य बना दिया गया था। संशोधित नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% खरीद सहित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से वार्षिक खरीद का 25% खरीद को अधिदेशित किया है।

(ग):वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसई से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई द्वारा कुल खरीद 82,630.38 करोड़ (36.06%) है।

*****